

प्रेस नोट

थाना न्यूरिया के चौकी मझौला क्षेत्र में दिनांक 03.07.2022 को सुबह 06:30 सितारगंज रोड पर ग्राम गुलडिया भिण्डारा के पास सडक के किनारे गोवंशीय पशुओं के अवशेष मिले थे, जिसके सम्बन्ध में थाना न्यूरिया पर मु0अ0स0 294/2022 थारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 बनाम अज्ञात अभि0 गण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। घटना के तत्काल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय के आदेशानुसार व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष न्यूरिया के निर्देशन में थाना न्यूरिया पुलिस टीम द्वारा घटना का तत्काल अनावरण करते हुए अभि0गण 1. खालिद पुत्र इलियास निवासी ग्राम तालगांव थाना निगोही जिला शाहजहांपुर हाल ग्राम रफियापुर थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत 2. जाकिर पुत्र साबिर निवासी ग्राम गुलडिया भिण्डारा थाना न्यूरिया पीलीभीत 3. वसीम पुत्र अनीस निवासी ग्राम रफियापुर थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत 4. मो0 अनस पुत्र मो0 नईम निवासी ग्राम गुलडिया भिण्डारा थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत को गिरफ्तार किया गया है। अभि0 गण के कब्जे से अवैध अस्लाह व कारतूस एवं अभि0 गण की निशानदेही पर गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। अभि0 गण से पूछताछ पर अभि0 गण द्वारा उपरोक्त घटना का इकबाल किया गया है।

अभियुक्त खालिद पुत्र इलियास निवासी ग्राम तालगांव थाना निगोही जिला शाहजहांपुर हाल निवासी ग्राम रफियापुर थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में अनेक अभियोग पंजीकृत हैं, जो गौकशी करने का अभयस्त अपराधी है। अभियुक्त खालिद अपने भाई साजिद के साथ मिलकर जनपद पीलीभीत के मझौला के मीट विक्रेताओं से सम्पर्क कर गौ हत्या की घटना को अन्जाम देता है एवं गौमांस को बरेली के भिन्न-भिन्न स्थानों पर बेच देता है। यह लोग क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों से मिलकर घटना कारित करते हैं। खालिद उपरोक्त द्वारा दिनांक 02/03.07.2022 की रात्रि में सितारगंज रोड पर अपने साथियों 1. जाकिर पुत्र साबिर निवासी ग्राम गुलडिया भिण्डारा थाना न्यूरिया पीलीभीत 2. वसीम पुत्र अनीस निवासी ग्राम रफियापुर थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत 3. मो0 अनस पुत्र मो0 नईम निवासी ग्राम गुलडिया भिण्डारा थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत 4. साजिद पुत्र इलियास निवासी ग्राम तालगांव थाना निगोही शाहजहांपुर 5. नईम पुत्र नत्थू निवासी ग्राम गुलडिया भिण्डारा थाना न्यूरिया जिला पीलीभीत के साथ मिलकर 02 गोवंशीय पशुओं की हत्या कर उनके मीट को अलग-अलग स्थानों पर बेच दिया था और अवशेषों को वहीं छोड़ दिया। अभियुक्त गण की निशानदेही पर गौहत्या में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। अभियुक्त साजिद पुत्र इलियास उपरोक्त व नईम पुत्र नत्थू उपरोक्त की गिरफ्तारी के लिये लगातार दविशें दी जा रही हैं।

अभि0गण से बरामद माल

- 1- 02 अदद तमंचा 315 बोर
- 2- 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 3- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 4- 02 अदद चाकू
- 5- पशु वध करने के उपकरण

अभियोग का अनावरण एवं अभि0 गण को गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1- उ0नि0 श्री अखिलेश चौहान
- 2- उ0नि0 श्री अनुज कुमार शर्मा
- 3- हे0का0 420 शाहिर हुसैन
- 4- का0 35 राविन्द्र वर्मा
- 5- का0 1426 रजत राणा
- 6- का0 676 कुलदीप ढालिया
- 7- का0 1541 सचिन कुमार

आपराधिक इतिहास अभि० खालिद-

1. मु०अ०सं० 294/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना न्यूरिया
2. मु०अ०सं० 295/22 धारा 307 भादवि थाना न्यूरिया
3. मु०अ०सं० 296/22 धारा 3/25 व 5/27 शस्त्र अधि० थाना न्यूरिया
4. मु०अ०सं० 19/20 धारा 307 भादवि थाना बरखेड़ा
5. मु०अ०सं० 36/20 धारा 307 भादवि थाना बिलसंडा
6. मु०अ०सं० 37/20 धारा 41/102/411/413/414/420/467/468/471 भादवि थाना बिलसंडा
7. मु०अ०सं० 558/17 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना इज्जतनगर जनपद बरेली

आपराधिक इतिहास अभि० जाकिर-

1. मु०अ०सं० 294/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना न्यूरिया
2. मु०अ०सं० 295/22 धारा 307 भादवि थाना न्यूरिया
3. मु०अ०सं० 297/22 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना न्यूरिया
3. मु०अ०सं० 175/18 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना अमरिया
4. मु०अ०सं० 176/18 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना अमरिया

आपराधिक इतिहास अभि० वसीम-

1. मु०अ०सं० 294/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना न्यूरिया
2. मु०अ०सं० 295/22 धारा 307 भादवि थाना न्यूरिया
3. मु०अ०सं० 298/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना न्यूरिया

आपराधिक इतिहास अभि० मोहम्मद अनस-

1. मु०अ०सं० 294/22 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि० थाना न्यूरिया
2. मु०अ०सं० 295/22 धारा 307 भादवि थाना न्यूरिया
3. मु०अ०सं० 299/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना न्यूरिया